संख्याः 312/2015/5444/नौ-5-15-86बजट/2012

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 18 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किये जाने हेतु पिलखुवा सीवरेज परियोजना हेतु प्राप्त केन्द्रांश की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पी0एम0यू0/105/से0टा0यो0/2014, दिनांक 31.08.2015 तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांकः के-14011/34/2010-यूडी-III, दिनांक 17.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किये जाने हेतु **पिलखुवा सीवरेज परियोजना** की भारत सरकार द्वारा अनुमन्य लागत रू0 3687.51 लाख के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश रू0 2950.01 लाख में से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 368.75 लाख के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की चतुर्थ किश्त रू0 323.75 लाख के सापेक्ष इस मद में अनुदान संख्या-37 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **रू0 298.02 लाख (रू0 दो करोड. अटठान्नवे लाख दो हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत/ पुनरीक्षित लागत	अनु. लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश/ अवमुक्त केन्द्रांश्	अवशेष केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	पिलखुवा सीवरेज परियोजना	3687.51/ 4541.73	2950.01/ 2581.25	368.75	323.75	298.02

(रू0 दो करोड. अटठान्नवे लाख दो हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट से आवश्यकतानुसार आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी तथा आहरित धनराशि को यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नगरीय निकाय/ एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *"लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-312/2015/5444(1)/नौ-5-15-86बजट/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मेरठ।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद हापुड़।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।